

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

विविध :: 30/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/45

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक पाली  
मुख्य शाखा जिला पाली राजस्थान  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश  
कुमार बारठ

1. श्री प्रकाश चन्द मालवीय पुत्र श्री भंवर लाल पता - 120, सुथारो का बास, धामली, तहसील - मारवाड जंक्शन, जिला पाली(राज.) 306501
2. श्रीमती रमकू देवी पत्नी प्रकाश चन्द मालवीय पता - 120, सुथारो का बास, धामली, तहसील - मारवाड जंक्शन, जिला पाली(राज.) 306501

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट, 2002

दिनांक:- 17.03.2025



1. यत प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक पाली ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम -2002 SARFAESI Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना-पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार बारठ ने श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैंक/कंपनी द्वारा दिनांक 01.05.2019 को 4,90,000/- (चार लाख नब्बे हजार रुपये) का ऋण स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

आवासीय संपत्ति का पता -फ्लैट नं. 22 बी -301, तीसरी मंजिल, टावर - 22, ब्लॉक - बी, आसन होम, खसरा नं. 333/7, चक पाली - II भांगेसर रोड पाली राजस्थान में है। जिसका कुल क्षेत्रफल 360 वर्गफीट है।

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य के द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 28.10.2023 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

4. फलस्वरूप अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य के द्वारा SARFAESI Act की के तहत ऋण राशि मय ब्याज 3,62,901/- (तीन लाख बासठ हजार नौ सौ एक रुपये) दिनांक 11.11.2024 तक ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

शामिल करते हुए भुगतान हेतु बकाया है। SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत बकाया भुगतान करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.11.2024 को भेजा गया इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया।

5. फलस्वरूप अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य द्वारा देय ऋण राशि का 60 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं किये जाने से प्रार्थी कंपनी द्वारा व्यथित होकर सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय में ऋणी द्वारा ऋण पेटे गिरवी रखी गयी सम्पत्ति जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है, का कब्जा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया।
6. हमने प्रार्थी के द्वारा सरफेसी की धारा 14 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी ने ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। सरफेसी एक्ट के तहत इस न्यायालय को मात्र पुलिस ईमदाद देने की हद तक सीमित अधिकार है। प्रार्थना पत्र एवं इसके लगाये दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कंपनी के द्वारा फलस्वरूप श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य को ऋण वसूली हेतु इस अधिनियम की धारा 13(2) में नोटिस दिया गया एवं दिनांक 22.12.2024 को अखबार साया किया गया, जिसका संवहन (Deliver) ऋणी को हो जाना स्पष्टतया पाया जाता है। तदुपरान्त भी निर्धारित 60 दिवसीय अवधि समाप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के नही चुकायी गयी है, जबकि दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंसियर्स एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम -2002 की धारा 14 में रहन (Mortgage) रखी गयी सम्पत्ति को कब्जे में ली जाकर प्रार्थी को दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार है :-



**Section 14 Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1)** where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provision of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate withing whoes jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, or the District Magistrate shall, on such request being made to him -


- (a) take possession of such asset and documents relating thereto ; and
- (b) forward such asset and documents to the secured creditor

" Provided further that on receipt of the affidavit from Authorised Officer, The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall, after satisfying the contents of the affidavit pass suitable orders for the purpose of

taking possession of the secured assest <sup>1</sup>[within a period of thirty days from the date of application]:

<sup>1</sup>[Provided further that if no order passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thiry days for reson beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty day]

Provided also that the requirement of filing affidavit stated in the first proviso shall not apply to proceeding pending before any District Magistrate or the Chief Metropolitan Mgristrate, as the case may be, on the date of commencement of this Act)



<sup>2</sup>(1A) The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate may authoruise any officer subordinate to him --

- (i) to take possession of such assest and documents relating thereto; and
- (ii) to forward such assests and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be

taken such steps and use , or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

(3) No act of the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate <sup>1</sup>[any officer authorised by the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate]

done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before authority.

7. अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानो के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यो एवं दस्तावेजो के मध्येनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 में प्रार्थी बैंक/कंपनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

यदि अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द मालवीय व अन्य इस आदेश से पन्द्रह दिन की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या 2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पत्ति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली को निर्देश प्रदत्त किये जाते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि संपत्ति में कोई किरायेदार है तो उस संपत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। यदि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावे। जिला पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक /कंपनी अप्रार्थीगण को देवें।



8. आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(एल.एन. मंत्री)

जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
जिला मजिस्ट्रेट, पाली